

दिनांक	आज्ञा पत्र
2.7.25	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में ग्रेप रेसपोर्ट की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की गालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सी.पी.डी. के अंतर्गत समन जारी करमे की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड डाक अधवा प्रेषित रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील खर्चा माना जाती है। पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही दिनांक 18.8.25 को पेश हो।</p>
18.8.25	<p>पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड सिविल प्रक्रिया से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्ण में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 17.10.25 को पेश हों।</p>
17.10.25	<p>पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड सिविल प्रक्रिया से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्ण में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 17.12.25 को पेश हों।</p>
17.12.25	<p>पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड सिविल प्रक्रिया से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्ण में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 3.2.26 को पेश हों।</p>
3.2.26	<p>पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड सिविल प्रक्रिया से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्ण में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 19.3.26 को पेश हों।</p>
19.3.26	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं जपीलान्ट स्वयं की बार बार आज्ञा दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 12 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खरिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास हुआ गया। प्रकरण फौजदर नुमांर होकर नम्बर से कम होकर सदा तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p>